

फर्द अहकाम

(निचम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मोपूरी नवाय मोपूरी
किस्म मुकदमा 2018 दिनांक 15 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर च तारीख अहकाम जो हुस हुकम की तालीम भे जारी हुए
	पत्रावली नं० 1 सकल मे वकील अम्नाली नं० 1 ने आदिमर्क तक जवाब प्राप्ति पत्र पेश नही किया है। अतः वकील अम्नाली नं० 1 का जवाब प्राप्ति पत्र का अपसद बन्द किया जाता है। सकल मे वहीलदार डीमाधोपुर के जजिमे पत्रांक 441/ राणस/18 दिनांक 27-3-18 के द्वारा वरु रिमि की लघुहस्ताक्षर जौय रिमि माह दुई जो शामिल मिसल की गई। शेष अम्नाली नं० 2 की वकील पूर्व उम्मा-तुम्बर की जकर पत्रावली दिनांक 17-4-18 को पेश है। 17-4-18 पत्रावली नं० 1/ सकल मे वकील अम्नाली/ पी/ जज जौय रिमि/ मोदिम नं० 1। पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक 20-4-18 को पेश हो। Vindu 20-4-18 पत्रावली नं० 1/ सकल मे वकील अम्नाली/ पी/ जज जौय रिमि/ मोदिम नं० 1। पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक 21-5-18 को पेश हो। Vindu 21-5-18. पत्रावली नं० 1/ सकल मे वकील अम्नाली/ पी/ जज जौय रिमि/ मोदिम नं० 1। पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक 21-5-18 को पेश हो। सकल मे वकील अम्नाली नं० 1 ने आदिमर्क तक जवाब प्राप्ति पत्र पेश नही किया है। अतः वकील अम्नाली नं० 1 का जवाब प्राप्ति पत्र का अपसद बन्द किया जाता है। सकल मे वहीलदार डीमाधोपुर के जजिमे पत्रांक 441/ राणस/18 दिनांक 27-3-18 के द्वारा वरु रिमि की लघुहस्ताक्षर जौय रिमि माह दुई जो शामिल मिसल की गई। शेष अम्नाली नं० 2 की वकील पूर्व उम्मा-तुम्बर की जकर पत्रावली दिनांक 17-4-18 को पेश है। राज्य सरकार ओपपारिड पत्र कर है। सकल मे वकील अम्नाली नं० 1 ने आदिमर्क तक जवाब प्राप्ति पत्र पेश नही किया है। अतः वकील अम्नाली नं० 1 का जवाब प्राप्ति पत्र का अपसद बन्द किया जाता है। सकल मे वहीलदार डीमाधोपुर के जजिमे पत्रांक 441/ राणस/18 दिनांक 27-3-18 के द्वारा वरु रिमि की लघुहस्ताक्षर जौय रिमि माह दुई जो शामिल मिसल की गई। शेष अम्नाली नं० 2 की वकील पूर्व उम्मा-तुम्बर की जकर पत्रावली दिनांक 17-4-18 को पेश है।	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मोहम्मद मोहम्मद पुल एम एम एल 155/17	3/4 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
	26.3.18 को मुं. को. महरौली द्वारा तैयार रिपोर्ट 27.3.18 को पंजाली के पास रिपोर्ट पर ली गयी। वं अधिकाधिक महरौली पार्किंग पर बस एवं रिपोर्ट के अनुसार अनुसार पार्किंग की जायेगी वं 76. (0.15 ई.) 77 (0.03 ई.) व 63 (0.61 ई.) में आने वाले हेतु अनुसार महरौली पुल चौक की जायेगी की आने 79 रास्ता शा. न. हेतु 0.03 आराम 2 सँ आने हेतु रखे 81 सँ वं 82 रास्ता जुड़ने हैं। मुं. को. महरौली की रिपोर्ट अनुसार महरौली उपखण्ड समूचा पार्किंग चौक दोर हेतु में 140 वर्गमीटर है तथा महरौली दोरा अ-प बालक मार्ग पार्किंग के पास उपलब्ध नहीं है। अनुसार पार्किंग का रास्ता हेतु अनुसार महरौली पुल चौक ऊपर के रिपोर्ट वं 81 सँ रास्ता हेतु आने हेतु पार्किंग पर ली गयी किता जावर वं 71 की उत्तरी भीड़ के मगर वं 81 में सँ 140 वर्गमीटर हेतु (35m x 4m) को सँ मुं. को. महरौली में सँ किता जावे वे आदेश दिये जाते हैं जो आदेश वं 7 82 की जायेगा। तथा अनुसार में	

उपखण्ड अधिकारी
मोहम्मद (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज 21/12/17 25/12/17 155/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	अतिरिक्त प्राप्ति की हदमात्र कुलमा प्राप्ति ही जारदारी भूमि पत्र 63 से ही कुलमा प्राप्ति (140 बीघर x 2) अर्थात् 280 कांभीर भूमि अप्राप्ति की भूमि पत्र 81 से लाहरी हुई कम की जोवर अप्राप्ति की जारदारी के अर्थात् भोगूराह पुर यों भूमि के हीर सो-देह (भरणीमा) के नाम रिवाइ में दर्ज की जाने। प्राप्ति हदमात्र सीमाप्राप्ति प्रमाणित प्राप्ति के ल शुभा होस नम। कम की जावर राखल दखलदही निर्णय कुलमा 15/12/17 21.12.17 की अर-साह मुनका गदा। दिना - (अर्थात् लाह माप) उपस्थित अधिकारी श्री माधोपुर (सीकर) अतिरिक्त, श्रीकर	